International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628 Print ISSN: 2664-861X
Received: 16-11-2023, Accepted: 01-12-2023, Published: 16-12-2023
Volume 5, Issue 4, 2023, Page No. 33-37

साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति एवं आदिवासियों की सहभागिता (राजस्थान के सीतामाता अभ्यारण के विशेष सन्दर्भ में)

जमना कुमारी राव[1], नेहा पालीवाल[2]
[1] अर्थशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत
[2] सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
साझा वन प्रबंध नीति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के परिप्रेक्ष्य में आरम्भ की गई एक ऐसी योजना है जिसमें वनों का संरक्षण एवं विकास कार्य वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों के सहयोग से सम्पूर्ण साझेदारी के साथ किया जाता है। इसमें अभ्यारण क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी विकास समिति गठित की जाती है। इस शोध पत्र में सीतामाता अभ्यारण में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति की स्थिति, कार्य एवं आदिवासियों की इसमें सहभागिता का अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों की सहायता से किया गया है जिसके लिए साझा वन प्रबंध के अंतर्गत कार्यरत 250 आदिवासी श्रमिकों का प्रतिदर्श गैर–आनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा चयनित किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि सीतामाता अभ्यारण में साझा वन प्रबंध के अंतर्गत पारिस्थितिकी विकास समिति के बारे लगभग 94 प्रतिशत स्थानीय लोग जागरूक है, वहीँ लगभग 65 प्रतिशत लोग समिति की बैठक में भाग लेते हैं किन्तु हमेशा या अक्सर भाग लेने वाले मात्र 22 प्रतिशत आदिवासी ही हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी अधिक रहती है किन्तु क्षेत्र एवं आयु के अनुसार उनकी सहभागिता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

मूलशब्दः साझा वन प्रबंध, पारिस्थितिकी विकास समिति, सहभागिता, आदिवासी, सीतामाता अभ्यारण

साझा वन प्रबंध नीति राष्ट्रीय वन नीति (1988) के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण मंत्रालय के 1990 के दिशा–निर्देशों के तहत् राजस्थान में 15 मार्च, 1991 से लागू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के सहयोग से वनों का विकास करना तथा वनों के माध्यम से उन्हें जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना था। इसमें वनों के संरक्षण एवं विकास का कार्य वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों को सम्मिलित कर सम्पूर्ण साझेदारी के साथ किया जाता है। इसमें ग्रामीणों की शक्ति को वन सुरक्षा/पारिस्थितिकी विकास समिति के रूप में संगठित कर न केवल वन संरक्षण एवं संवर्धन में औपचारिक एवं वास्तविक रूप से भागीदार बनाया जाता है वरन् स्थानीय लोगों की वन उपज सम्बन्धी मांगों को उनकी अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार पूरा करने की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा 1990 में साझा वन प्रबंध के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किए जाने के बाद से भारत में साझा वन प्रबंध वन–प्रबंधन की आधारशिला बन चुका है। इन दिशा–निर्देशों को वनों की रक्षा करने, उनका उपयोग करने तथा प्रबंधन करने के मामले में समुदायों की भूमिका को बदलते परिप्रेक्ष्य में लागू किये जाने के व्यापक प्रयास के रूप में देखा गया है। जब प्रारंभ में साझा वन प्रबंध के कार्य में तेजी आने के साथ ही नई चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आईं, तब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गैर–सरकारी समितियों का गठन किया गया ताकि समय पर निधि का वितरण करने के साथ ही इस सम्बन्ध में लोगों में सक्रिय और नवीन दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। साझा वन प्रबंध के कार्य समितियों के माध्यम से कराए जाते हैं जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। अभ्यारण क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा एवं प्रबंध के लिए पारिस्थितिकी विकास समिति (EDC) गठित की जाती है तथा महिला उपसमिति, इसकी सहायक समिति होती है जो कि खास तौर पर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने का काम करती है।

राजस्थान में प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के सीता माता अभ्यारण क्षेत्र में साझा वन प्रबंध के अंतर्गत गठित पारिस्थितिकी विकास समिति की स्थिति एवं कार्यों की समीक्षा करता है एवं आदिवासियों की इसमें सहभागिता का भी अध्ययन करता है।

साहित्य समीक्षा

साझा वन प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर अब तक कई अध्ययन किए गए हैं (द्विवेदी 2009; भट्टाचार्य 2015; भाट एवं अरासु 2018), किन्तु इस नीति के अंतर्गत पारिस्थितिकी विकास समिति की अभ्यारण क्षेत्र में भूमिका पर अध्ययन बहुत कम हुए हैं। **जी.** एन. वाय. (2016) ने अपने शोध पत्र "वन प्रबंधन में जेएफएम (साझा वन प्रबंध) समितियों की भूमिका" में वन प्रबंधन में जेएफएम समितियों (गैर–सरकारी समितियों) की भूमिका का मूल्यांकन किया है। इन्होंने बताया कि साझा वन प्रबंध के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जेएफएम समितियों का गठन किया गया है। जिन्हें प्रादेशिक वन एवं अभ्यारण में अलग–अलग नामों से जाना जाता है अभ्यारण क्षेत्र में पारिस्थितिकी विकास समिति (EDC) गठित की जाती है यह समिति अभ्यारण क्षेत्र में वन विकास, वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबंध का कार्य करती है। इन्होंने बताया कि समितियों में लगभग 58 प्रतिशत पुरुष हैं। अतः जेएफएम सदस्यों में लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में है। इसी तरह एलीसन लुईस (2016) के शोध "जॉइन्ट फॉरेस्ट मेनेजमेन्ट इन हिमाचल प्रदेश इन इंड़िया रू जेन्डर कॉन्ट्रिब्यूशन लर्निंग एक्शन आउटकम्स" का मुख्य उद्देश्य स्थायी उपयोगकर्ताओं के साथ सहकारी स्वामित्व वाले वनों के बारे में अध्ययन करना था। इन्होंने प्रबंध की जिम्मेदारियाँ और गाँव वन समितियों/पारिस्थितिकी विकास समितियों के भीतर महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है जो कि वन आश्रित समुदायों, गैर–सरकारी संगठनों और जंगल के बीच सहयोग को काफी प्रभावित करती हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए इन समितियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा ही कार्यक्रम

की रूपरेखा तैयार कर संचालन किया जाता है। पी. एन. राय (2015) ने अपने शोध पत्र "स्टेटस ऑफ जॉइन्ट फॉरेस्ट मेनेजमेन्ट इन त्रिपुरा" में त्रिपुरा में चल रहे साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम का उल्लेख किया है। इन्होंने बताया कि त्रिपुरा में 1991 में साझा वन प्रबन्ध प्रारम्भ किया गया और तब से जंगलों के संरक्षण के लिए जंगलों के आस–पास रहने वाले लोगों को शामिल करने और उनके लाभों को अधिकतम करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि वन संरक्षण समिति और पुनर्जनन समितियों द्वारा जंगल की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के कार्यक्रम चलाए गए तथा 1999 तक 165 ऐसी समितियों का गठन किया गया जो 16,566 हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा करती हैं। राय ने बताया कि साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम से सम्बन्धित क्षेत्र में बांस और अन्य वनस्पति की प्रजातियों के बागान तथा औषधीय मूल्य के पौधों का विकास किया गया जो कि भावी लाभ के लिए आवश्यक थे। ये लाभ बांस की ईंधनवुड, शहद, लघु वनोपज, पत्तियों आदि के रूप में हो सकेंगे। इसके अलावा समितियों के सदस्यों की आय में वृद्धि करने के लिए वन उत्पादन की आवश्यकता होगी। इन्होंने सुझाव दिया कि साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम में काम कर रहे कर्मचारियों को इस नई अवधारणा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा समन्वय समिति सभी स्तर पर गठित की जानी चाहिए और विभिन्न सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सी. ए. बार्न्स (2010) ने अपने शोध "सस्टेनेबल कलेक्टीव एक्शन इन जॉइन्ट फॉरेस्ट मेनेजमेन्ट, महाराष्ट्रा, इंड़िया" में साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम में चलने वाली सामूहिक कारवाई का अध्ययन किया है। इनके अनुसार सामूहिक कार्यवाही साझा वन प्रबन्ध नीति का मुख्य बिन्दु है जिसे स्थानीय वन उपयोगकर्ताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों, समितियों और संगठनों के रूप में देखा गया है। साथ ही उन्होंने वन विभाग और गैर–सरकारी संगठनों के साथ चार मामलों का अध्ययन किया है। इन्होंने बताया कि सामूहिक कार्यवाही का कार्य साझा वन प्रबन्ध नीति की समझ का स्तर, जागरूकता, बाहरी हितधारकों के साथ संबंध, भविष्य के लाभों में विश्वास और अनुभव की क्षमता द्वारा साझा वन प्रबन्ध को स्वतन्त्र रूप से प्रबन्धित करना है।

शोध अन्तराल

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि साझा वन प्रबंध में गैर सरकारी समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु अब तक जो अध्ययन किए गए हैं वे अलग– अलग पहलुओं पर हैं और वे मुख्यतः साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन विकास, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण आदि पहलुओं पर अधिक बात करते हैं। साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति की भूमिका एवं उसमें स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता पर बहुत ही कम शोध की गई है और राजस्थान के सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र में तो इस तरह का कोई भी शोध कार्य नहीं पाया गया है। इसी अन्तराल को पूरा करने के लिए प्रस्तुत शोध पत्रसीतामाता अभ्यारण में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति का एक अध्ययन प्रस्तुत करता है जिसमें पारिस्थितिकी विकास समिति की भूमिका, स्थिति एवं उसमें आदिवासियों की सहभागिता पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. सीतामाता अभ्यारण में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति की स्थिति का अध्ययन करना।
2. सीतामाता अभ्यारण में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्य–प्रणाली एवं कार्यों का अध्ययन करना।
3. सीतामाता अभ्यारण में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति में आदिवासियों की सहभागिता का अध्ययन करना।

शून्य परिकल्पनाएँ

1. सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति में आदिवासियों की सहभागिता में क्षेत्र के आधार पर सार्थक अंतर नहीं है।
2. सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति में आदिवासियों की सहभागिता में जेंडर के आधार पर सार्थक अंतर नहीं है।
3. सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र में साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति में आदिवासियों की सहभागिता में आयु के आधार पर सार्थक अंतर नहीं है।

शोध पद्धति

वर्तमान शोध मुख्यतः प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है। सीतामाता अभ्यारण में साझा वन प्रबंध में कार्य करने वाले आदिवासी श्रमिकों से प्राथमिक आँकड़ों का संग्रहण संरचित अनुसूचियों के माध्यम से किया गया है। शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य के प्रतिदर्श के चयन हेतु स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन (गैर–आनुपातिक) विधि का प्रयोग किया गया है। इस हेतु वन मंडल चित्तौड़गढ़ द्वारा विभाजित सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र के तीन वन क्षेत्रों– बड़ी सादड़ी रेंज, जाखम रेंज तथा धरियावद रेंज को तीन स्तर मानकर प्रत्येक में से 75 आदिवासी श्रमिकों का चयन उनमें स्थित वन नाकों में से समान संख्या में यादृच्छिक रूप से करते हुए कुल 225 आदिवासी श्रमिकों का एक प्रतिदर्श चयनित किया गया है। परिकल्पना परीक्षण के लिए काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है ।

साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति (EDC) की स्थिति

अध्ययन क्षेत्र एक अभ्यारण है इसलिए यहाँ वनों के विकास के लिए पारिस्थितिकी विकास समिति कार्यरत है। वर्तमान में यहाँ साझा वन प्रबंध नीति के तहत कुल 36 पारिस्थितिकी विकास समितियाँ गठित हैं। विगत पाँच वर्षों में सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र में कार्यरत पारिस्थितिकी विकास समितियों का क्षेत्रानुसार वितरण सारणी 1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1: सीतामाता अभ्यारण में क्षेत्रानुसार तथा वर्षानुसार पारिस्थितिकी विकास समितियों की संख्या (वर्ष 2016–2017 से 2021–2022)

वर्ष	इको विकास समितियों की संख्या			योग
	बड़ी सादड़ी	जाखम	धरियावद	
2016–17	5	6	4	15
2017–18	7	7	6	20
2018–19	10	12	8	30
2019–20	11	14	9	33
2020–21	12	14	10	36
2021–22	12	14	10	36

स्त्रोतः सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र के क्षेत्रीय वन कार्यालयों के दस्तावेजों से संकलित (वर्ष 2016–2022)

सारणी 1 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2016–2017 में बड़ी सादड़ी में 5 पारिस्थितिकी विकास समितियाँ थी जो वर्ष 2018–2019 में बढ़कर 10 हो गई तथा वर्तमान 2021–2022 में इनकी संख्या 12 है। इसी तरह वर्ष 2016–2017 में जाखम में 6 पारिस्थितिकी विकास समितियाँ थी जो वर्ष 2018–2019 में बढ़कर 12 हो गई तथा वर्तमान 2021–2022 में इनकी संख्या 14 है। धरियावद में वर्ष 2016–2017 में 4 पारिस्थितिकी विकास समितियाँ थी जो वर्ष 2018–2019 में बढ़कर 8 हो गई तथा वर्तमान 2021–2022 में

इनकी संख्या 10 है। अतः वर्तमान में जाखम में सर्वाधिक 14, बड़ी सादड़ी में उससे कम 12 तथा धरियावद में सबसे कम 10 पारिस्थितिकी विकास समितियाँ हैं। तीनों क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास समितियों की संख्या में जो अंतर पाया गया है उसके विषय में वन विभाग के अधिकारी से प्रश्न किया गया तब उन्होंने बताया कि जलग्रहण क्षेत्र, भूमि उपज पर साझेदारी, करवाए जाने वाले विकास में लोगों की सामान्य रूचि, गाँवों की आपस में दूरी एवं निर्भरता के आधार पर समितियों का गठन किया जाता है इसीलिए तीनों क्षेत्रों बड़ी सादड़ी, जाखम एवं धरियावद में समितियों की संख्या में अंतर पाया गया है।

ये पारिस्थितिकी विकास समितियाँ वास्तव में कितनी प्रभावी हैं तथा क्षेत्र के निवासियों को उनके विषय में जानकारी है या नहीं यह जानने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान चयनित प्रतिदर्श से पारिस्थितिकी विकास समितियों से सम्बंधित प्रश्न किए गए थे जिनसे प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण अध्याय के इस भाग में किया गया है।

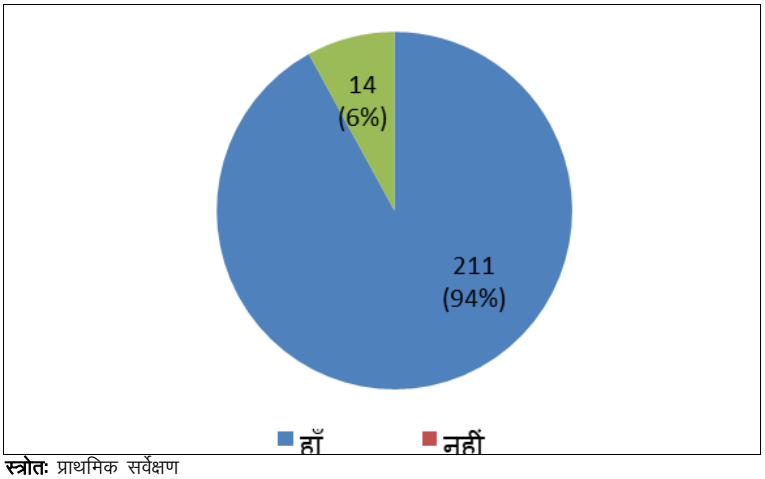

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

आरेख 1: सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र में पारिस्थितिकी विकास समिति की उपस्थिति के प्रति जागरूकता का विश्लेषण (n=225)

आरेख 1 से ज्ञात होता है कि चयनित आदिवासी श्रमिकों में से 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों को पारिस्थितिकी विकास समिति की उपस्थिति के बारे में जानकारी है जब कि अध्ययन क्षेत्र में मात्र 6.2 प्रतिशत श्रमिक ही ऐसे मिले जिनको पारिस्थितिकी विकास समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें पारिस्थितिकी विकास समिति के बारे में जानकारी नहीं है उनमें जागरूकता का अभाव है। उन्हें सिर्फ साझा वन प्रबंध नीति के अंतर्गत प्राप्त कार्य से मतलब है।

साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति का महत्व, कार्य एवं कार्यप्रणाली

वन्य जीव रक्षित क्षेत्रों (अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों) में सुरक्षा एवं विकास तथा समीपस्थ ग्रामों में पारिस्थितिकी विकास हेतु पारिस्थितिकी विकास समिति का गठन किया जाता है। पारिस्थितिकी विकास समिति द्वारा जैव विविधता की सुरक्षा एवं विकास तथा सम्बंधित गाँवों का विकास किया जाता है। यह वन्य जीव रक्षित क्षेत्रों (अभ्यारणों एवं राष्ट्रीय उद्यानों) के आसपास तथा उसमें रहने वाले लोगों की एक औपचारिक, निर्वाचित, लोकतान्त्रिक एवं स्वायत्तशासी संस्था है जो कि वन विभाग द्वारा गठित की जाती है।

पारिस्थितिकी विकास समिति में शत प्रतिशत स्थानीय लोगों को सदस्य बनाया जाता है साथ ही महिला सदस्यों को भी शामिल किया जाता है और एक महिला उपसमिति गठित की जाती है।

पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी में 11 सदस्य होते हैं। जो लोग कार्यकारिणी के बारे में जानकारी रखते हैं उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी के 11 सदस्यों का चयन पारिस्थितिकी विकास समिति के सदस्यों में से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी के ग्यारह निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन किया जाता है। उक्त तीनों पदों में से कम से कम एक पद पर महिला का चयन होना आवश्यक है। एक बार गठित कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दो वर्ष बाद पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी का नये सिरे से गठन किया जाता है। इस समिति की समय-समय पर बैठक बुलाई जाती है जिसमें विकास कार्य सम्बन्धी निर्णय लिए जाते हैं। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए जाते हैं कि वन क्षेत्र के किस भाग में किस प्रकार के विकास की आवश्यकता अधिक है तथा किस प्रकार के विकास कार्य कराए जाने चाहिए। समिति के सदस्य सर्वसम्मति से निर्णय लेकर वन विभाग को सूचित करते हैं और साझा वन प्रबंध नीति के तहत इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता से करवाया जाता है।

साझा वन प्रबंध के अंतर्गत पारिस्थितिकी विकास समिति के माध्यम से वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के साथ– साथ वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र में जल–प्रबंधन हेतु भी बहुत से कार्य करवाए जाते हैं जिसमें एनिकट, चेकडेम, परकोलेशन टैंक, लघु जल निकासी प्रणाली, गेबियन, जल निकासी लाइन उपचार एवं जल बिंदु आदि निर्माण कार्य कराए जाते हैं।

साझा वन प्रबन्ध के अंतर्गत पारिस्थितिकी विकास समिति के माध्यम से वन विकास के साथ–साथ बहुत सी गैर–वानिकी एवं आय सृजन गतिविधियाँ भी करवाई जाती हैं, जैसे– पेयजल की सुविधा करना, सड़क निर्माण, सामुदायिक कार्य एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्य आदि।

साझा वन प्रबंध में पारिस्थितिकी विकास समिति में आदिवासियों की सहभागिता

कोई भी समिति तभी कार्य कर सकती है जब उसके सदस्य उससे जुड़े रहें। अतः समिति के सदस्य चाहे कई हों परन्तु कितने सदस्य समिति की बैठक में भाग लेते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्वेक्षण के दौरान प्रत्येक उत्तरदाता से पूछा गया कि पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में भाग लेने की आवृत्ति क्या है तथा प्राप्त परिणामों को सारणी 2 में दर्शाया गया है।

मात्र 16.6 प्रतिशत लोग स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होते हैं। इनमें कई लोग वे हैं जो पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी के सदस्य हैं तथा उनका बैठक में शामिल होना अनिवार्य होता

है। 21 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कभी भी पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए तथा अधिकतर 43.6 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी–कभार ही इसकी बैठक में भाग लिया है। पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होना प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य नहीं होता। यह सदस्यों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि उन्हें बैठक में शामिल होना है या नहीं। इसीलिए बैठक में हमेशा शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या कम है। शोध के दौरान यह सामने आया कि जो लोग हमेशा बैठक में शामिल होते हैं वे साझा वन प्रबंध नीति के प्रति अधिक जागरूक हैं और जो लोग बैठक में शामिल नहीं होते उन्हें साझा वन प्रबंध नीति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। सीतामाता अभ्यारण में क्षेत्रानुसार पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति को भी सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2: सीतामाता अभ्यारण में पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की क्षेत्रानुसार आवृत्ति (n=225)

आवृत्ति	वन क्षेत्र			योग
	बड़ी सादड़ी	जाखम	धरियावद	
हमेशा	12(16%)	13(17.33%)	13(17.33%)	38(16.89%)
अक्सर	1(1.33%)	3(4%)	8(10.67%)	12(5.33%)
कभी–कभी	37(49.33%)	35(46.67%)	26(34.67%)	98(43.56%)
शायद ही कभी	9(12%)	10(13.33%)	10(13.33%)	29(12.89%)
कभी नहीं	16(21.33%)	14(18.67%)	18(24%)	48(21.33%)
योग	75(100%)	75(100%)	75(100%)	225(100%)

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

सारणी 2 से यह ज्ञात होता है कि तीनों ही वन क्षेत्रों में 16–17 प्रतिशत श्रमिक हमेशा पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में सम्मिलित होते हैं। इसी तरह कभी–कभी शामिल होने वालों में बड़ी सादड़ी के 49 प्रतिशत, जाखम के 47 प्रतिशत जबकि धरियावद के 35 प्रतिशत लोग हैं। तीनों ही क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति लगभग एक जैसी है अर्थात् अंतर बहुत कम है। इस अंतर की सार्थकता के परीक्षण हेतु काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है जिसके परिणाम सारणी 3 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 3: पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति तथा क्षेत्र में साहचर्य का काई–वर्ग परीक्षण

काई–वर्ग मूल्य	स्वातंत्र्य कोटि	सार्थकता मान/पी. मूल्य
4.400	4	.355

स्त्रोतः परिगणित

[a]शून्य कोष्ठों (0.0 :) की अपेक्षित आवृत्ति 5 से कम है। न्यूनतम अपेक्षित आवृत्ति मूल्य 16.67 है।

नोट – काई–वर्ग परीक्षण के लिए सारणी 2 के 'आवृत्ति' चर को तीन समूहों –'हमेशा एवं अक्सर', 'कभी–कभी' तथा 'शायद ही कभी तथा कभी–नहीं' में पुनः समूहित किया गया है।

सारणी 3 में दर्शाए काई–वर्ग परीक्षण में सार्थकता मान (पी. मूल्य) 0.355 प्राप्त हुआ जो 0.05 से अधिक है, अतः 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकार नहीं की जा सकती है। फलतः कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति तथा क्षेत्र के मध्य में साहचर्य नहीं है अर्थात् सदस्यों के पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठकों में उपस्थिति में क्षेत्रानुसार कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सीतामाता अभ्यारण में क्षेत्रानुसार पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की जेंडर अनुसार आवृत्ति को सारणी 4 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4: सीतामाता अभ्यारण में पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की जेंडर अनुसार आवृत्ति (n=225)

आवृत्ति	जेंडर		योग
	महिला	पुरुष	
हमेशा	22(18.80%)	16(14.81%)	38(16.89%)
अक्सर	5(4.27%)	7(6.45%)	12(5.33%)
कभी–कभी	60(51.28%)	38(35.19%)	98(43.56%)
शायद ही कभी	10(8.55%)	19(17.59%)	29(12.89%)
कभी नहीं	20(17.09%)	28(25.93%)	48(21.33%)
योग	117(100%)	108(100%)	225(100%)

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

सारणी 4 से ज्ञात होता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति अधिक है। पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में भाग लेने की आवृत्ति में जेंडर अनुसार कोई सार्थक अंतर है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए काई–वर्ग परीक्षण का पयोग किया गया जिसका परिणाम सारणी 5 में दर्शाया गया है।

सारणी 5: पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति तथा जेंडर में साहचर्य का काई–वर्ग परीक्षण

काई–वर्ग मूल्य	स्वातंत्र्य कोटि	सार्थकता मान (पी. मूल्य)
8.666[a]	2	.013

स्त्रोतः परिगणित

[a]शून्य कोष्ठों (0.0%) की अपेक्षित आवृत्ति 5 से कम है। न्यूनतम अपेक्षित आवृत्ति मूल्य 24.00 है।

नोट – काई–वर्ग परीक्षण के लिए सारणी 4 के 'आवृत्ति' चर को तीन समूहों– 'हमेशा एवं अक्सर', 'कभी–कभी' तथा 'शायद ही कभी तथा कभी–नहीं' में पुनः समूहित किया गया है।

पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति तथा जेंडर में कोई साहचर्य है या नहीं यह पता करने के लिए काई–वर्ग परीक्षण किया गया जिसमें सार्थकता मान (पी. मूल्य) 0.013 प्राप्त हुआ जो 0.05 से कम है अतः 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। फलतः कहा जा सकता है कि जेंडर तथा पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति के मध्य में साहचर्य है। महिलाओं और पुरुषों की पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में सम्मिलित होने की आवृत्ति में अंतर सिद्ध होता है जो सारणी 4 के अनुसार महिलाओं में तुलनात्मक रूप से अधिक है। महिलाओं ने बताया की महिला उप–समिति के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं को पारिस्थितिकी विकास समिति बैठक में रखा जाता है एवं सर्व सम्मति के माध्यम से समस्याओं का हल समिति द्वारा निकला जाता है इसलिए महिलाएँ पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में आधिक से अधिक भाग लेती हैं।

सीतामाता अभ्यारण में पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति का आयु अनुसार विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है जिसके परिणाम सारणी 6 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 6: सीतामाता अभ्यारण में पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आयु अनुसार आवृत्ति (n=225)

आवृत्ति	आयु–वर्ग			योग
	18–24	25–44	45–60	
हमेशा	8(19.51%)	27(17.65%)	3(9.68%)	38(16.89%)
अक्सर	2(4.89%)	9(5.88%)	1(3.23%)	12(5.33%)
कभी–कभी	18(43.90%)	68(44.44%)	12(38.71%)	98(43.56%)
शायद ही कभी	4(9.56%)	18(11.76%)	7(22.58%)	29(12.89%)
कभी नहीं	9(21.95%)	31(20.26%)	8(25.81%)	48(21.33%)
योग	41(100%)	153(100%)	31(100%)	225(100%)

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

सारणी 6 में आयु–वर्गानुसार पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति का विश्लेषण किया गया है जिससे ज्ञात होता है कि तीनों ही आयु वर्गों में से 18–24 आयु–वर्ग के सर्वाधिक (19.51 प्रतिशत) सदस्य हमेशा पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं जबकि अक्सर पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों में 25–44 आयु–वर्ग के लोग सर्वाधिक (5.88 प्रतिशत) हैं। तीनों ही आयु वर्गों में से 45–60 आयु–वर्ग के सर्वाधिक (48.39 प्रतिशत) सदस्यों ने बताया कि उन्होंने शायद ही कभी या कभी भी पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में भाग नहीं लिया। पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में भाग लेने की आवृत्ति में आयु–वर्गानुसार कोई सार्थक अंतर है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसके परिणाम सारणी 7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7: पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति तथा आयु में साहचर्य का काई–वर्ग परीक्षण

काई–वर्ग मूल्य	स्वातंत्र्य कोटि	सार्थकता मान (पी. मूल्य)
3.721	4	.445

स्त्रोतः परिगणित

तीन कोष्ठों (0.0:) की अपेक्षित आवृत्ति 5 से कम है। न्यूनतम अपेक्षित आवृत्ति मूल्य 6.89 है।

नोट – काई–वर्ग परीक्षण के लिए सारणी 6 के 'आवृत्ति' चर को तीन समूहों– 'हमेशा एवं अक्सर', 'कभी–कभी' तथा 'शायद ही कभी तथा कभी–नहीं' में पुनः समूहित किया गया है।

सारणी 7 में दर्शाए काई–वर्ग परीक्षण के परिणाम में सार्थकता मान (पी. मूल्य) 0.445 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 से अधिक है, अतः 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना अस्वीकार नहीं की जा सकती है। फलतः कहा जा सकता है कि आयु–वर्ग तथा पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में शामिल होने की आवृत्ति के मध्य में साहचर्य नहीं है अर्थात् सदस्यों के पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठकों में उपस्थिति में आयु अनुसार कोई सार्थक अंतर नहीं है।

निष्कर्ष

सीतामाता अभ्यारण में पारिस्थितिकी विकास समिति के माध्यम से साझा वन प्रबंध के कार्य करवाए जा रहे हैं। सीतामाता अभ्यारण में लगभग 94 प्रतिशत लोगों को पारिस्थितिकी विकास समिति के बारे में जानकारी है। पारिस्थितिकी विकास समिति की कार्यकारिणी में 11 सदस्य होते हैं। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पारिस्थितिकी विकास समिति की बैठक में मात्र 22 प्रतिशत आदिवासी ही हमेशा या अक्सर भाग लेते हैं और 34 प्रतिशत ने तो शायद ही कभी भाग लिया हो। किन्तु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अधिक भाग लेती हैं क्योंकि वे महिला उपसमिति में भी सदय होती हैं। बैठक में सर्वसम्मति से आवश्यकतानुसार विकास कार्य कराए जाने के निर्णय लिए जाते हैं। साझा वन प्रबंध नीति के तहत इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता से करवाया जाता है। इस प्रकार यह समिति वन प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी समितियाँ साझा वन प्रबंध में महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं तथा आदिवासियों द्वारा इसमें सहभागिता की जा रही हैं। किन्तु अभी भी सभी आदिवासी इसकी बैठकों में भाग लेकर प्रबंधन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं। वे सिर्फ इस समिति के माध्यम से करवाए जाने वाले कार्यों को अपनी आजीविका के माध्यम के रूप में ही देखते हैं। यही कारण है कि इन समितियों के माध्यम से वन विकास के कार्य तो सीतामाता अभ्यारण क्षेत्र में हुए हैं किन्तु ग्राम विकास के अधिक कार्य नहीं हो पाए हैं। साझा वन प्रबंध के अंतर्गत आदिवासियों के सहयोग से वन विकास के साथ–साथ उनके विकास की प्राप्ति का उद्देश्य तभी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकेगा जब आदिवासियों को प्रबंधन में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया जाए और वे निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाएँ।

सन्दर्भ सुची

1. बार्न्स सी. ए.सस्टेनेबल कलेक्टिव एक्शन इन जॉइन्ट फॉरेस्ट मेनेजमेन्ट, महाराष्ट्रा, इंड़िया (पीएच.डी. उपाधि के लिए प्रस्तुत अप्रकाशित शोध प्रबंध), अट्रेच यूनिवर्सिटी, 2010 पृ. 17 (https://studenttheses.uu.nl)
2. भाट, ए. वी. एवं जी. वी अरासु. मध्य प्रदेश में आदिवासियों के सामाजिक–आर्थिक संवर्धन में संयुक्त वन प्रबंध की भूमिका,रामानुजन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ बिजनेस एंड रिसर्च, 3(1), 2018, पृ. 93–106 (https://rijbr.in)
3. भट्टाचार्य पी. जॉइन्ट फॉरेस्ट मेनेजमेन्ट इन इंडिया : एक्सपीरियंस ऑफ टू डिकेड्स, जर्नल ऑफ रिसोर्स कन्सर्वेशन एण्ड रिसायक्लिंग, 54(8), 2010, पृ. 469–480, (https://www.sciencedirect.com)
4. द्विवेदी डी.. डूंगरपुर जिले के जनजातीय क्षेत्रों में साझा वन प्रबन्ध नीति के प्रभाव (पीएच.डी. उपाधि के लिए प्रस्तुत अप्रकाशित शोध प्रबंध), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 2009, पृ. 14
5. लुईस ए. जॉइन्ट फॉरेस्ट मेनेजमेन्ट इन हिमाचल प्रदेश इन इंड़िया जेन्डर कॉन्ट्रिब्यूशन लर्निंगएक्शन आउटकम्स (पीएच. डी. उपाधि के लिए प्रस्तुत अप्रकाशित शोध प्रबंध), यूनिवर्सिटी ऑफ मॉनीटोबा, बिनीपेज, 2016, पृ. 210 (http://hdl.handle.net/1993/31530)
6. राय पी. एन. स्टेटस ऑफ जॉइन्ट फारेस्ट मेनेजमेन्ट इन त्रिपुरा, जर्नल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, 126(5),2015, पृ. 484–492, (https://www.indianforester.co.in)
7. वाय जी. एन. वन प्रबंधन में जेएफएम समितियों की भूमिका, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 81